



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 31 मार्च, 2015 ई0

चैत्र 10, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 106/XXXVI(3)/2015/09(1)/2015

देहरादून, 31 मार्च, 2015

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015” पर दिनांक 31 मार्च, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 15 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

No. 106/XXXVI(3)/2015/09(1)/2015

Dated Dehradun, March 31, 2015

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **‘the Uttarakhand Protection of Cow Progeny (Amendment) Bill, 2015’** (Adhiniyam Sankhya 15 of 2015).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 31 March, 2015.

Uttarakhand Protection of Cow Progeny (Amendment) Act, 2015
(Act No. 15 of 2015)

To further Amend the Uttarakhand Protection of Cow Progeny Act, 2007

An
Act

Be it enacted in the Sixty-sixth year of the Republic of India.

Short title and Commencement 1.(1) This Act may be called The Uttarakhand Protection of Cow Progeny (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Section 8 2. In Section 8 of The Uttarakhand Protection of Cow Progeny Act, 2007 (herein referred as Principal Act) shall be substituted as follows, namely -

"It shall be mandatory to obtain a registration certificate from Veterinary Officer appointed at Government veterinary hospital of the area for rearing of every cow progeny in the urban area. Technique & procedure to establish identity such cow progeny shall be prescribed by state Government."

उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15 वर्ष 2015)

उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- धारा 8 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्
"शहरी क्षेत्र में गोवंश के पालन के लिए संबंधित क्षेत्र के राजकीय पशुचिकित्सालय पर नियुक्त पशुचिकित्सा अधिकारी से गोवंश के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना बाध्यकारी होगा। राज्य सरकार द्वारा नियत तकनीक एवं प्रक्रिया के अनुरूप प्रत्येक गोवंश की व्यक्तिगत पहचान स्थापित किया जाना आवश्यक होगा।"
- धारा 11 उपधारा (3) का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 11 उपधारा (3) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्
"जो कोई धारा 7 एवं 8 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना, जो ₹ 2,000.00 (₹ दो हजार) तक हो सकेगा, से दण्डित किया जा सकेगा।"
- धारा 11 क का अन्तःस्थापन 4. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् शीर्षक सहित एक नई धारा 11 क निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्
"अपराधों का शमन करने की शक्ति जो कोई धारा 7 अथवा धारा 8 में विनिर्दिष्ट अपराध का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन करने का प्रयास करता है, तो ऐसे अपराध का शमन मुख्य नगर अधिकारी या अधिशासी अधिकारी या संबंधित थाने का ऐसा पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक से निम्न पंक्ति का न हो, के समक्ष किया जा सकेगा और ऐसे अपराध हेतु विहित अधिकतम जुर्माना की धनराशि की आधी राशि प्रतिकर के रूप में प्रतिगृहीत कर सकेगा : परन्तु ऐसे अपराध का शमन सक्षम न्यायालय में विचारण आरम्भ होने से पूर्व ही किया जा सकेगा अन्यथा नहीं।"

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

Amendment of 3. In Sub Section (3) of Section 11 of the principal Act shall be substituted,
Sub Section (3) namely –
of Section 11 "Whoever contravenes or attempts to contravene the provision of section 7 and 8, shall be guilty of and offence punishable with ₹ 2,000/(₹ Two thousand)."

Insertion of 4. After Section 11 of the principal Act, a new section 11A shall be inserted
Section 11A with heading as follows, namely

"Whoever contravenes or attempts to contravene the provisions of section 7 or section 8, shall be guilty. In this case compounding of the offense may be imposed by Mukhya Nagar Adhikari or Executive Officer or any police officer of the local police station who is not below the rank of Sub Inspector. For such an offense, penalty equivalent to half of the maximum fine provision shall be imposed ;
 Limitation is that, once the offense gets under the trial in the court, no compounding shall be permissible."

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.